बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
मार्गदर्शिका
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

1. पृष्ठभूमिः–

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्व से विभागीय संकल्प सं0–1140 दिनांक–10.05.2018 निर्गत है, जिसके अनुसार बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर राशि रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) मात्र तथा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर राशि रू0 50,000/–(रू0 पचास हजार) मात्र एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मुख्य परीक्षा एवं अग्रेत्तर तैयारी हेतु दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. योजनाः–

राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में वर्तमान में इस योजना के आच्छादन को विस्तारित कर पूर्व के प्रावधानों से इतर कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है एवं इसके संबंध में विभागीय संकल्प संख्या–1012 दिनांक–21.02.2024 निर्गत है।

इसके अलावा विभागीय संकल्प सं0–1140 दिनांक–10.05.2018 में निहित प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेगी।

उक्त दोनों संकल्पों में निहित प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार/अग्रेत्तर तैयारी हेतु निम्नरूपेण निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है–

प्रतियोगी परीक्षा का नाम	प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम	प्रोत्साहन राशि (राशि रू0 में)
संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सहित आयोजित अन्य प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यथा– (a) सिविल सेवा (Civil Service)	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	1,00,000/–
(b) भारतीय अभियंत्रण सेवा (Indian Engineering Service), (c) भारतीय आर्थिक सेवा(Indian Economic Service), (d) भारतीय सांख्यिकी सेवा(Indian Statistical Service) (e) संयुक्त भू–वैज्ञानिक (Combined Geo-Scientist) इत्यादि		75,000/–
संयुक्त रक्षा सेवा (CDS), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) (Dy.S.P.), केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force),इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा।	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	50,000/–
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), एवं नौसेना अकादमी (Naval Academy) की प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) उत्तीर्ण होने पर देय राशि।	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	50,000/–

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा।	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	50,000/–
अन्य राज्यों में आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा	संबंधित राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग	50,000/–
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ग्रेड–बी की प्रारंभिक परीक्षा/ भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी (Bank Probationary Officer) की प्रारंभिक परीक्षा/भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (Assistant Administrative Officer) की प्रारंभिक परीक्षा	भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक/ बैंकिग कार्मिक चयन संस्थान (Institute of Banking Personnel Selection-IBPS)/ भारतीय जीवन बीमा निगम	30,000/–
संयुक्त स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा	केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली	30,000/–
विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा तकनीकी एवं स्नातक स्तरीय (Combined Graduate Level) प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर देय राशि।	संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड	30,000/–

3. **उद्देश्यः–**

योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि/आर्थिक सहयोग दिया जाना है, ताकि वे उपरोक्त परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत आर्थिक कठिनाई से बाधामुक्त होकर मुख्य परीक्षा एवं अग्रेत्तर तैयारी कर सकें। अभ्यर्थी इस योजना से संबंधित मुख्य परीक्षा एवं अग्रेत्तर तैयारी हेतु राशि का उपयोग स्वेच्छानुसार कर सकेंगे।

4. **अभ्यर्थी के लिए अर्हता एवं शर्तेः–**

(i) अभ्यर्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत होना/आना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी को उपरोक्त सारणी में अंकित इस योजना से संबंधित परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iii) अभ्यर्थी इस योजना से संबंधित परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों से मार्गदर्शन (ऑफलाईन/ऑनलाईन) के रूप में अग्रेतर तैयारी हेतु प्राप्त प्रोत्साहन राशि का उपयोग स्वेच्छानुसार कर सकेंगे।

(iv) अभ्यर्थी को पूर्व से किसी राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन वित्त सम्पोषित किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम (बोर्ड/निगम) की सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए।

(v) किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार दिया जायेगा।

(vi) कंडिका–5 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त, यदि कोई भी अभ्यर्थी इस योजना हेतु निर्गत विभागीय संकल्प सं0– 1012 दिनांक–21.02.2024 के परिशिष्ट–1 में उल्लेखित परीक्षाओं के लिए लाभ लेने के उपरान्त केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होता है तो उसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के लिए केवल एक बार अंतर राशि देय होगा, मात्र इस हद तक कंडिका–(v) शिथिल रहेगी।

(vii) आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी, जिसमें विभागीय वेबसाईट के माध्यम से पोर्टल पर निबंधन कर ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जायेगा।

(viii) अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई–मेल आई0डी0 भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उनके ई–मेल आई0डी0 पर दी जायेगी।

(ix) अभ्यर्थी को आवेदन के साथ इस आशय का 1st Class Judicial Magistrate अथवा Executive Magistrate के स्तर से निर्गत शपथ–पत्र की Scanned प्रति पोर्टल पर समर्पित करना होगा कि वे किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/ बोर्ड–निगम/केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा वित्त सम्पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं है तथा उनके द्वारा इस विभाग या अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के अन्तर्गत अन्तर राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त शपथ–पत्र में उल्लेख करना होगा कि यह आवेदन अंतर राशि प्राप्त करने के लिए है तथा पूर्व में जिस परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है उसका पूर्ण विवरण अंकित करना होगा।

(x) ऑनलाईन निबंधन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, संबंधित परीक्षा का प्रवेश–पत्र एवं संबंधित परीक्षा परिणाम (वेब पोर्टल पर प्रकाशित या अन्य, जिसमें अभ्यर्थी का अनुक्रमांक अंकित हो) की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं स्वयं के नाम का सक्रिय बैंक खाता का पासबुक या हस्ताक्षरित रद्द किया हुआ चेक, सभी की Scanned प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करनी होगी, इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। गलत सूचना देकर इस योजना का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

5. आवेदन की प्रक्रियाः–

विभागीय अधिसूचित पोर्टल (https://scstonline.bih.nic.in) पर अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जाएगा। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगे। 45 दिनों की समय–सीमा को विभाग द्वारा आश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है।

(i) अभ्यर्थी संबंधित पोर्टल पर एक बार पंजीकरण (One Time Registration) करेंगे।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा एक बार में सिर्फ एक ही परीक्षा से संबंधित आवेदन समर्पित किया जायेगा। अनेक आवेदनों की स्थिति में अद्यतन आवेदन ही मान्य होगा। यदि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अतिरिक्त अन्य परीक्षा के लिए पूर्व में आवेदन किया गया हो, उस स्थिति में अंतर राशि के भुगतान हेतु सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए किया गया आवेदन भी मान्य होगा।

(iii) ऑन–लाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

(iv) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी एवं भुगतान की गई राशि Public Demand Recovery Act (PDR Act) 1914 के अधीन वसूलनीय राशि मानी जाएगी।

6. निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से निम्न अभिलेख/प्रमाण–पत्र ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगाः–

(i) अद्यतन फोटो

(ii) हस्ताक्षर

(iii) संबंधित परीक्षा का प्रवेश–पत्र की प्रति

(iii) परीक्षा संबंधी भरा हुआ आवेदन फार्म की प्रति (वैकल्पिक)

(iv) परीक्षा परिणाम संबंधित दस्तावेज (वेब पोर्टल पर प्रकाशित या अन्य जिसमें अभ्यर्थी का अनुक्रमांक एवं नाम अंकित हो) की स्व–अभिप्रमाणित प्रति

(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार स्तर से निर्गत–Right to Public Services के तहत निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य)

(vi) आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार स्तर से निर्गत–Right to Public Services के तहत निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य)

(vii) आधार कार्ड की प्रति

(viii) **शपथ पत्र** (अभ्यर्थी को आवेदन के साथ इस आशय का First Class Judicial Magistrate अथवा Executive Magistrate के स्तर से निर्गत शपथ–पत्र की Scanned प्रति पोर्टल पर समर्पित करना होगा कि वे किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/बोर्ड–निगम/केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा वित्त सम्पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं है तथा उनके द्वारा इस विभाग या अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के अन्तर्गत अन्तर राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त शपथ–पत्र में उल्लेख करना होगा कि यह आवेदन अंतर राशि प्राप्त करने के लिए है तथा पूर्व में जिस परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है उसका पूर्ण विवरण अंकित करना होगा।)

(ix) आधार से जुड़ा मोबाईल नं0 (ऑनलाईन आवेदन में दर्ज करने के साथ–साथ आधार सीडेड बैंक खाता से संबंधित पासबुक/रद्द किया हुआ चेक/अद्यतन बैंक स्टेटमेंट जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं खाता संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।)

(x) विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गए अन्य अभिलेख/प्रमाण–पत्र आदि।

7. कार्यान्वयनः–

इस योजना का कार्यान्वयन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्मित पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु

निदेशालय के उप निदेशक स्तर के पदाधिकरी को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा जो योजना के प्रभारी पदाधिकारी होंगे।

8. सत्यापन–

(i)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी से इतर एक प्राधिकृत पदाधिकारी (सहायक निदेशक स्तर से अन्यून) को नामित किया जायेगा जो योजनान्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जाँच, सत्यापन, प्रमाण–पत्रों की जाँच आदि एवं संबंधित बोर्ड/आयोग/परीक्षाफल प्रकाशित करने वाली संस्था से परीक्षाफल प्रकाशन (हार्ड कॉपी/सॉफ्टकॉपी/वेबसाईट के माध्यम से) का मिलान कर आवेदन को ऑनलाईन पोर्टल पर अग्रसारित करेंगे।

(ii)यदि किसी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो अथवा वेबसाईट के माध्यम से परीक्षाफल की सही जाँच नहीं हो पा रही हो और प्राधिकृत पदाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परीक्षाफल/प्रवेश पत्र आदि का भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक है तो ऐसी परिस्थिति में भौतिक सत्यापन हेतु जाँच दल का गठन किया जा सकेगा, जो संबंधित बोर्ड/आयोग अथवा परीक्षाफल प्रकाशित करने वाली संस्था से परीक्षाफल/प्रवेश पत्र आदि का सत्यापन कर एवं पोर्टल पर जाँच प्रतिवेदन अपलोड कर अनुमोदन हेतु अनुशंसा 15 कार्य दिवसों के अन्दर उपलब्ध कराएगा।

9. अनुमोदनः–

(i) निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग सत्यापन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकृत करेंगे अथवा त्रुटि निराकरण हेतु संबंधित नोडल पदाधिकारी को वापस करेंगे। स्वीकृत आवेदनों की सूची पोर्टल के माध्यम से भुगतान हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) को भेजी जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निधि की उपलब्धता के आलोक में अविलंब भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

(ii) किसी भी आवेदन को निरस्त करने अथवा स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को होगा।

10. भुगतानः–

(i) आवेदनों की स्वीकृति/अनुमोदन के उपरांत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निधि उपलब्धता के आलोक में भुगतान की कार्रवाई सात (7) कार्य दिवस के अंदर की जाएगी।

(ii) भुगतान, आधार सीडेड बैंक खाता में अर्थात भुगतान, आधार आधारित (Adhar based) होगा।

9.अन्य :–

(i) समय–समय पर विभागीय सचिव के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार मार्गदर्शिका में परिवर्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/अनुदेश जोड़े जा सकते हैं अथवा पूर्व के प्रावधानों को हटाया/संशोधित किया जा सकता है।

(ii) योजना हेतु पूर्व में विभागीय ज्ञापांक–1776 दिनांक–20.07.2018 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका को निरस्त किया जाता है।

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5/निदे0(सिविल सेवा प्रोत्साहन)27–01/2023–5305 पटना, दिनांक–04/09/2024

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5/निदे0(सिविल सेवा प्रोत्साहन)27–01/2023–5305 पटना, दिनांक–04/09/2024

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5/निदे0(सिविल सेवा प्रोत्साहन)27–01/2023–5305 पटना, दिनांक–04/09/2024

प्रतिलिपिः–सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5/निदे0(सिविल सेवा प्रोत्साहन)27–01/2023–5305 पटना, दिनांक–04/09/2024

प्रतिलिपिः–सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी संबंधित राज्यों के लोक सेवा आयोग/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक/बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान/भारतीय जीवन बीमा निगम/केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली/संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

A9

ज्ञापांकः–5 / निदे0(सिविल सेवा प्रोत्साहन)27–01 / 2023–5305 पटना, दिनांक–04/09/2024

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5 / निदे0(सिविल सेवा प्रोत्साहन)27–01 / 2023–5305 पटना, दिनांक–04/09/2024

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5 / निदे0(सिविल सेवा प्रोत्साहन)27–01 / 2023–5305 पटना, दिनांक–04/09/2024

प्रतिलिपिः–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (NIC), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5 / निदे0(सिविल सेवा प्रोत्साहन)27–01 / 2023–5305 पटना, दिनांक–04/09/2024

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव